न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 102 / 2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00103)

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहरं।
2. रोहिताश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. सुरेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. भागीरथ पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. नरसिह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. जयपाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. समेशता देवी पि. ओमप्रकाश पुत्र पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. आशकरण पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. विद्यादेवी पि. रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. राकेश पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर
13. महेन्द्र पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
14. साहबराम पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
15. भीमाराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

16. कमला पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
17. सीता पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
18. शारदा पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

असल रेस्पोडेंट्स

19. रामेश्वर पुत्र रूपा पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी नुआ तहसील भादरा।
(फौत होने पर आदेश दिनांक 23.03.2021 द्वारा नाम हटाया गया)
20. आदराम पुत्र रूपाराम पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
21. विमला पुत्री रूपा पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 09.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ) के अपील सं. 12/2018 निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर में रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 3648 दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरण को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.10.2020 द्वारा अपील खारिज कर दी। आदेश दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 व नामान्तरकरण सं. 3648 दिनांक 06.04.2016 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 5 ता 18 एवं 20, 21 के निमित साधारण नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि नामान्तरण संख्या 3648 दिनांक 06.04.2016 को हुआ। दो गांवो की जमीन देईदास और भूकरका की है। देईदास की भूमि खसरा नं. 260 रकबा 32 बीधा 9 बिस्वा व खसरा नं. 448 रकबा 15 बीधा 10 बिस्वा तथा भूकरका की भूमि खसरा नं. 296 रकबा 12.191 हैक्टेयर भूमि है। उक्त भूमि गणेश की थी। फिर लेखू इसका पुत्र हुआ लेखू के दो पुत्रिया रूपा और तानी हुई, तानी के भागीरथ और रूपा के मुखी अपीलान्ट हुई। दिनांक 10.04.1985 को रूपा फौत हो गई। तानी ने रूपा का हक मारने के लिए अपने पुत्र भागीरथ से मिलकर भूमि अपने व पुत्र भागीरथ के नाम करवा ली। यदि तानी का हिस्सा बनता है तो रूपा का भी हक था ना कि अकेली तानी का। इन अलग अलग नामान्तकरण से भूमि अपने नाम करवा ली। दिनांक 22.05.1987 को वसीयत द्वारा भूमि भागीरथ के नाम करवा ली व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दावा कर दिनांक 30.05.2002 को डिक्री करवा लिया। इसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी में अपील करने पर दिनांक 27.03.2018 को अपील स्वीकार हो गई व रूपा का हक मानते हुए दूसरे वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। ये सभी नामान्तकरण गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 39 गैर खातेदारी भूमि का नामान्तकरण नही हो सकता है। अपीलाधीन भूमि पैतृक भूमि है, विभाजन नही हुआ है। इस कारण दस्तावेज व वसीयत शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनाक 29.10.2020 व नामान्तकरण सं. 3648 दिनांक 06.04.2016 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2007 पृष्ठ 672 , RRD 1995 पृष्ठ 27, RRD 1995 पृष्ठ 557, RRD 2012 पृष्ठ 104, RRD 2008 पृष्ठ 520, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त विवादित भूमि पर डिक्री के आधार पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तकरण हुवे है, जो सक्षम न्यायालय के डिक्री के निरस्त होने से ही नामान्तकरण निरस्त हो सकते है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील चल रही है। सिविल कोर्ट में वसीयत एवं दानपत्र को खारिज करने के लिए भी दावा चल रहा है, उसका निस्तारण आज तक हुआ नही है। जो कुछ भी तैय होगा व दावा में तैय हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की अपील दाखिल दफ्तर की जावे या खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के अपील सं. 12/2018, के निर्णय दिनांक 29.10.2020 व रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के नामान्तकरण संख्या 3648 दिनांक 06.04.2016 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 व नामान्तकरण संख्या 3648 दिनांक 06.04.2016 को निरस्त करने का निवदेन किया किया गया है। प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत बाबत है। दिनांक 22.05.1987 को लेखू पुत्र गणेशा द्वारा अपनी पुत्री तानी के बेटे भागीरथ (दोहिता) के नाम वसीयत कर दी गई है। पत्रावली अनुसार अपीलान्ट मुखी की माता रूपा का दिनांक 10.04.1985 को स्वर्गवास हो गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार श्री लेखू पुत्र गणेशा की दिनांक 22.05.1987 को मृत्यु होना व लेखू की पुत्री रूपा की मृत्यु दिनांक 10.04.1985 को होना प्रतिवेदित है। ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा दिनांक 14.07.1995 को पारित नामान्तकरण संख्या 920 सर्वसहमति से लेखू व रूपा के फौत होने की दशा मे तानी पुत्री लेखू के नाम पारित किया जाना परिलक्षित हुआ है। तत्पश्चात यह प्रकरण विभिन्न राजस्व न्यायालयो व सिविल न्यायालयो मे विचाराधीन होना पत्रावली अनुसार संज्ञान मे आया है। वर्तमान में नामान्तकरण संख्या 3648 दिनांक 06.04.2016 के विरूद्व अपील जो कि दानपत्र के आधार पर भरा गया है दायर की गई है। पत्रावली अनुसार तहसीलदार नोहर द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 29.03.2016 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 3648 दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

06.04.2016 स्वीकृत किया गया है। चूंकि रजिस्टर्ड दानपत्र ही इस नामान्तकरण का मूल कारण है, अतः रजिस्टर्ड दानपत्र की वैधता पर निर्णय पश्चात ही इस नामान्तकरण पर विनिश्चय किया जाना विधिक उपाय हे। किसी भी रजिस्टर्ड दानपत्र की वैधता व अस्तित्व को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। नामान्तकरण एक वित्तिय (Fiscal) कार्यवाही है जिसमें खातेदारी अधिकारो का सृजन नही होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार अपील मे वर्णित भूमि के संबध में नियमित वाद संक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिससे ही खातेदारी अधिकारो का विनिश्चय हो सकेगा। उक्त विवेचन विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2020 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर